न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 259/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी :– 1. भीखाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट
निवासी दीपला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. कालू पुत्र दलू जाति भील निवासी दीपला
2. मतू पुत्र दलू जाति भील निवासी दीपला
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थी :– श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक 13.12.2022

प्रार्थी भीखाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी दीपला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जाशुदा का खेत मौजा दीपला पटवार हल्का जानपालिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला तहसील सेड़वा के खसरा सं. 483/157 रकबा 4.8562 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम भूमि का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की वर्षों से रहवासी ढाणी आयी हुई हैं। प्रार्थी के खेत व रहवासी ढाणी में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 315/151 रकबा 5.6980 हैक्टयर में से 20 फीट चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। उक्[illegible]खासर से गडरा जाने वाली पक्की डामर सड़क को जोड़ता है। अब अप्रार्थीगण उक्त [illegible] अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से [illegible] कर दिया है तथा [illegible]तु आपसी सहमती से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते [illegible] प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र[illegible]त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

251 ए काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 20 फीट चौडे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे नक्शें में चिन्हीत स्थान पर ही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता है, जिसे सलंग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने–जाने खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने–जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने–ले जाने, राशन सामग्री लाने–ले जाने में इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि में चलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थी रास्ता की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दीपला के खसरा संख्या 483/157 रकबा 4.8562 किस्म बारानी सोयम के खातेदार भीखाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट ने अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु ग्राम दीपला के खसरा संख्या 315/151 रकबा 5.6980 किस्म बारानी दोयम में से रास्ते की मांग की गई। प्रस्तावित रास्ते पर एक खेजड़ी का पेड़ हे इसके अलावा उक्त प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान आदि नहीं है भूमि मौके पर खाली है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मतू, कालू पि. दलू ताजू पत्नी दलू जाति भील सा0 जानपालिया हाल सराईयों का तला खातेदार	315/151	5.6980 हैक्ट.	3गट्ठा* 71 गट्ठा	0.0890 हैक्ट.	दीपला	11060/–	बारानी दोयम

प्रस्तावित रास्ते को सलंग्न नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंचने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। ग्राम दीपला की डीएलसी दर सिंचित सड़क पर प्रति बीघा 20107/– है। ग्राम दीपला के खसरा संख्या 315/151 के खातेदार मतू, कालु पि. दलू सूचना के बावजुद मौके पर हाजिर नहीं मिले तथा इनकी माता ताजूदेवी पत्नी दलू लगभग तीन वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मतू, कालू पि. दलू ताजू पत्नी दलू जाति भील सा0 जानपालिया हाल सराईयों का तला खातेदार	315/151	5.6980 हैक्ट.	3 गट्ठा* 71 गट्ठा	0.0890 हैक्ट.	दीपला	11060/–	बारानी दोयम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़ता

सहायक कलक्टर

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का सुनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) से...

प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 13.12.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:17:19 IST
Reason: SelfAttested